

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 379]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 21 जुलाई 2010—आषाढ़ 30, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 19 जुलाई 2010

फा. क्र. 6-10-06-इक्कीस-ब(दो).—विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) की धारा 28 के साथ पठित धारा 6 की उपधारा (5) तथा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश जिला विधिक सहायता अधिकारी (भर्ती) नियम, 2007 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 3 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

“3-क. जिला विधिक सहायता अधिकारियों की सेवा का गठन.

(1) जिला विधिक सहायता अधिकारियों की सेवा में निम्नलिखित प्रवर्ग होंगे, अर्थात् :-

(एक) जिला विधिक सहायता अधिकारी (प्रवेश स्तर) (वेतनमान रुपये 6500—200—10500)

(दो) वरिष्ठ जिला विधिक सहायता अधिकारी (पदोन्नति संवर्ग) (वेतनमान रुपये 8500—250—13500)

(तीन) वरिष्ठ जिला विधिक सहायता अधिकारी ग्रेड-1 (पदोन्नति संवर्ग) (वेतनमान रुपये 10000—325—15200)

(2) वरिष्ठ जिला विधिक सहायता अधिकारी के संवर्ग में नियुक्ति, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा या मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा द्वारा विनिर्दिष्ट किये गए किसी प्राधिकारी द्वारा उन जिला विधिक सहायता अधिकारियों में से, जिन्होंने निरन्तर सेवा के 10 वर्ष पूर्ण कर लिए हों, योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर चयन द्वारा की जाएगी.

(3) वरिष्ठ जिला विधिक सहायता अधिकारी ग्रेड-1 के संवर्ग में नियुक्ति मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किये गए किसी प्राधिकारी द्वारा उन वरिष्ठ जिला विधिक सहायता अधिकारियों में से,

जिन्होंने वरिष्ठ जिला विधिक सहायता अधिकारी के संवर्ग में निरन्तर सेवा के 10 वर्ष पूर्ण कर लिए हों, योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर चयन द्वारा की जायेगी.

(4) जिला विधिक सहायता अधिकारियों की सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :—

- (एक) वे व्यक्ति जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के समय मूलरूप से या स्थानापन्न रूप से जिला विधिक सहायता अधिकारी का पद धारण करते हैं;
- (दो) इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा के लिए हकदार व्यक्ति.”

F. No. 6-10-2006-XXI-B (II).—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) and (6) of Section 6 read with Section 28 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (39 of 1987), the State Government, in consultation with the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh District Legal Aid Officer (Recruitment) Rules, 2007, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, after rule 3, the following rule shall be inserted, namely :—

“3-A. Constitution of service of District Legal Aid Officers.

(1) The service of the District Legal Aid Officers shall consist of the following categories, namely :—

- (i) District Legal Aid Officer (Entry Level) (Pay Scale Rs. 6500—200—10500)
- (ii) Senior District Legal Aid Officer (Promotion Cadre) (Pay Scale Rs. 8500—250—13500)
- (iii) Senior District Legal Aid Officer (Grade-I (Promotion Cadre) (Pay Scale- Rs. 10000—325—15200)

(2) Appointment to the cadre of Senior District Legal Aid Officer shall be made by the Madhya Pradesh State Legal Service Authority or by any authority as may be specified by the Madhya Pradesh State Legal Services Authority by selection on the basis of merit-cum-seniority from amongst District Legal Aid Officers, who have completed 10 years of continuous service.

(3) Appointment to the cadre of Senior District Legal Aid Officer-Grade-I shall be made by the Madhya Pradesh State Legal Services Authority or by any authority as may be specified by the Madhya Pradesh State Legal Services Authority by selection on the basis of merit-cum-seniority from amongst Senior District Legal Aid Officers, who have completed 10 years of continuous services in cadre of Senior District Legal Aid Officer.

(4) The service of the District Legal Aid Officers shall consist of the following persons :—

- (i) Persons who at the time of commencement of these rules are holding substantively or in officiating capacity, the post of District Legal Aid Officer.
- (ii) Persons entitled to the service in accordance with the provisions of these rules.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ए. जे. खान, सचिव.